<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 7596–7727/भ0नि0बो0(185)–14 दिनांक 22.09.2011 के माध्यम से **''निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना''** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–15/2015/1962/36–2–2015–16(जी)/15, दिनांक 02.03.2016 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **''निर्माण कामगार पुत्री विवाह अनुदान योजना''** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये हैः–

1. प्रस्तर–4, हितलाभ– पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त आर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु रु. 51000/– (रु. इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अन्तर्जातीय विवाह हेतु रु. 55000/– (रूपये पचपन हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

    सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोडों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में रू. 5000/– (रू0 पॉच हजार मात्र) प्रति जोडे की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

    तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

<u>कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।</u>

पत्रांकः 7791/भ0नि0बो0(185)–2016 **दिनांकः–** 09.03.2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपयुर्क्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
5. प्रमुख सचिव, श्रम/अध्यक्ष बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0जे0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।